

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21112020-223247
CG-DL-E-21112020-223247

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3672]
No. 3672]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 20 2020/कार्तिक 29, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 20, 2020/KARTIKA 29, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2020

का.आ. 4174(अ).— पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1662 का 50) के खण्ड (क) के अनुसरण में केंद्र सरकार निम्नोक्त तालिका के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा नुमालीगढ़ से सिलीगुड़ी पाइपलाइन विस्तारण हेतु उक्त अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी का कार्य निष्पादित करने के लिए नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (1) में उल्लिखित व्यक्तियों को प्राधिकृत करती है नामतः :-

अनुसूची

व्यक्तियों के नाम	अधिकार क्षेत्र
1	2
श्री कनक सेन दास वरिष्ठ प्रबंधक (भूमि) पाइपलाइन विभाग, ऑयल इंडिया लिमिटेड नारंगी, गुवाहाटी -781171	असम में अवस्थित क्षेत्र: गोलाघाट, नागाँव, मोरीगाँव, पूर्वी कामरूप, कामरूप (मेट्रो), कामरूप (ग्रामीण), नलबारी, बरपेटा, बोंगाईगांव, चिरांग, असम का कोकराझार जिला पश्चिम बंगाल में अवस्थित क्षेत्र: अलीपुरद्वार, कूचबिहार, जलपाई गुड़ी, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला

[फा. सं. Expl-11032(11)/31/2020-Expl-1-PNG]

कुलदीप कुमार, अवर सचिव,

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, 19th November, 2020

S.O.4174(E).—In pursuance of clause (a) of Section (2) of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby authorizes the authority mentioned in column (1) of the schedule given below to perform the functions of Competent Authority under the said Act for expansion of pipelines by Oil India Limited, Numaligarh to Siliguri in respect of the areas specified in column (2) for the said schedule.

SCHEDULE

Name and Address of Authority	Area of Jurisdiction
1	2
Shri Kanak Sen Das Senior Manager (Land), Pipeline Department, Oil India Limited, Narengi, Guwahati-781171	Areas falling in Assam: Golaghat, Nagaon, Morigaon, East Kamrup, Kamrup (Metro), Kamrup (Rural), Nalbari, <u>Barpeta, Bongaigaon, Chirang, Kokrajhar District</u> Areas falling in west Bengal: Alipurduar, Cooch Bihar, Jalpaiguri, Darjeeling District.

[F. No. Expl-11032(11)/31/2020-Expl-1-PNG]

KULDEEP KUMAR, Under Secy.